

अपहरण के मामले में 01 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.03.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पहसा ईट भट्टे के पास से मु0अ0स0 56/26 धारा 87, 137(2), बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अविनाश सिंह पुत्र वृषकेतु सिंह निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अविनाश सिंह पुत्र वृषकेतु सिंह निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 56/26 धारा 87, 137(2), बीएनएस

पाक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.03.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकिया क्रासिंग से मु0अ0स0 58/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त प्रीतम राजभर पुत्र पिन्टू राजभर निवासी मलाब थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया .

अभियुक्त का विवरण-

1. प्रीतम राजभर पुत्र पिन्टू राजभर निवासी मलाब थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 58/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट

अंजान व्यक्ति द्वारा माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 17,500/- (सत्रह हजार) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 17,500/- (सत्रह हजार) रुपये पीडित संध्या सिंह पत्नी मृत्युन्जय सिंह निवासी ग्राम महुआर थाना कोपागंज जनपद मऊ की कुल 17,500 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. प्राभारी निरीक्षक महोदय श्री रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. नोडल अधि० उ०नि० उमाशंकर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. सहायक नोडल अधिकारी उ०नि० प्रियंका सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. कम्प्यूटर आपरेटर अभिजीत पटेल थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5. म०का० सविता मौर्या थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा से फ्राड की गयी धनराशि 20,000/- (बीस हजार) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये रिस्तेदार बनकर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 20,000/- (बीस हजार) रुपये पीडित आवेदक विशाल कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ की कुल 20,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी)
2. उपनिरीक्षक दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी)

3. हेड ऑपरेटर अरविंद यादव
4. महिला आरक्षी काजल सिंह
5. महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे